Result Mitra Daily Magazine

SC का फैसला और NRC पर प्रभाव

हालिया संदर्भ :-

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने नागरिकता के मामले में अहम निर्णय देते हुए असम निवासी मोहम्मद रहीम अली को भारत का नागरिक घोषित किया।
- SC ने अपना निर्णय देते हुए विदेशी न्यायाधिकरण (FT) एवं असम हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।
- SC के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह एवं न्यायाधीश विक्रमनाथ ने अपने फैसले में विदेशी राष्ट्रीयता के आरोपों के मामले में कानून को भी स्पष्ट किया, साथ ही जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति के लिये सबूत पेश किये जावें, के प्रावधानों को भी स्पष्ट किया।

मामला :-

- रहीम अली का जन्म बारपेटा जिले के डोलुर ग्राम में हुआ।
- रहीम के माता-पिता का नाम 1965 में मतदाता सूची में शामिल था।
- एक दस्तावेज से पता चलता है कि 1965 से पहले अली के माता-पिता का पैतृक निवास डोलुर में मौजूद था।
- अली सहित उनके भाई-बहनों का नाम 1985 में मतदाता सूची में जोडा गया।
- 1997 में अली की शादी हुई और वे नलवारी जिले के काशिमपुर गए, जहाँ 1997 में ही उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया।
- 2004 में नलवारी के पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अली की राष्ट्रीयता की जांच की गई।
- अली 1सप्ताह के भीतर राष्ट्रीयता को प्रमाणित करने वाले सबूत पेश नहीं कर पाए, जिससे उनके खिलाफ विदेशी होने का मामला दर्ज किया गया।

- बाद में अली द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गए, उसमें नाम एवं तिथियों में वर्तनी (Spelling) विसंगतियाँ थी, जिसके बाद FT ने उन्हें विदेशी घोषित कर दिया।
- पूर्व में HC ने भी FC के मामले को बरकरार रखा, जिस पर SC ने FT को पुनः दस्तावेजों की जाँच करने को कहा।
- FT ने पुनः अली को विदेशी घोषित किया, जिसका आधार यह था कि उसने 25 मार्च 1971 (कट ऑफ डेट) के बाद भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया है।

सबूत पेश करने की जिम्मेदारी

- विदेशी एक्ट, 1946 की धारा-9, उस व्यक्ति पर, जिस पर विदेशी होने का आरोप लगाया जाता है, यह दायित्व डालती है, वह साबित करे कि वह विदेशी नहीं है।
- SC ने अपने फैसले में कहा कि सवाल यह है कि क्या एक्ट की धारा-9 कार्यपालिका को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को "विदेशी होने के संदेह" में उसकी राष्ट्रीयता की जांच करे ? जब तक कि उसके पास व्यक्ति के विदेशी होने का प्रमाण न हो।

SC का निर्णय :-

- SC ने फैसले में कहा कि अली के विदेशी होने के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है तथा इस बारे में भी कोई सूचना नहीं है कि उसके विदेशी होने के खिलाफ किसने और कब शिकायत दर्ज कराई।
- साथ ही यह भी अस्पष्ट है कि उसके बांग्लादेश से आने की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई।
- अदालत ने कहा कि विदेशी एक्ट के तहत सबूत पेश किये जाने का दायित्व अभियुक्त पर हो सकता है, लेकिन यह दायित्व उसके द्वारा तभी निर्वहित किया जाना चाहिये, जब राज्य उस सामग्री को पेश करे, जिस आधार पर उसके विदेशी होने का आरोप तय किया गया है।
- राज्य द्वारा आरोप लगाए जाने के लिये सामग्रियों/सबूतों का पेश किया जाना प्राकृतिक न्याय के क्लासिक नियम का अभिन्न अंग है।
- SC ने कहा "ऑडी अल्टडम पार्टम" यानि किसी को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहरा देना चाहिए।
- सुनी-सुनाई बातों या बेबुनियाद एवं अस्पष्ट आधारों पर कार्यवाही करने के लिये अधिकारियों को निर्देश नहीं दिये जाने चाहिये क्योंकि इससे व्यक्ति के जीवन बदलने वाले एवं गंभीर परिणाम हो सकते है।

Result Mitra

पूर्व के फैसले :-

- मुकेश सिंह VS राज्य मामले (2020) में SC के संवैधानिक पीठ द्वारा दिये गये निर्णय का हवाला देते हुए SC ने कहा कि अभियोजन पक्ष (जिसने आरोप लगाया है) द्वारा भी पर्याप्त सबूत पेश किये जाने चाहिये।
- नूर आगा VS पंजाब राज्य मामले (2008) में दिए गए फैसले के अनुसार "रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ" के मामले में भी अभियोजन पक्ष को पहले कुछ बुनियादी तथा संबंधित सबूत पेश करने चाहिए।
- आपराधिक न्यायशास्त्र का यह स्थापित सिद्धांत है कि अपराध जितना ज्यादा गंभीर होगा, सबूत का डिग्री (सबूत पेश एवं प्रमाणित किये जाने का स्तर) उतना ही ज्यादा सख्त होगा।

वर्तनी में विसंगतियाँ :-

- SC का यह निर्णय उन लोगों के लिये भी राहत वाला है, जो नागरिकता (संशोधन) एक्ट, 2019 एवं राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) आने के बाद स्वयं या माता-पिता के नाम में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से चिंतित थे।
- SC ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करते समय वर्तनी में भिन्नता होना कोई विदेशी होने का प्रमाणन नहीं है।
- सर्वेक्षण के दौरान नाम या जन्मतिथि या पता दर्ज करते समय आकस्मिक प्रविष्टि करने से ये विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती है, जिसे गंभीर परिणामों में परिणत नहीं किया जाना चाहिये।
- इसके अलावा, देश में कई लोगों के नाम के आगे उपनाम या सरनेम आदि जोड दिया जाता है, जिससे एक ही व्यक्ति दो अलग-अलग नामों से भी जाना जा सकता है।

विदेशी न्यायाधिकरण (FT)

- स्थापना- विदेशी एक्ट 1946 के द्वारा
- विदेशी अधिनियम एक औपनिवेशिक कानून, जिसका उद्देश्य "विदेशियों" से निपटना था।
- 1964 में गृह मंत्रालय के कार्यकारी आदेश द्वारा FT की स्थापना।

- नोट :- संविधान के अनुच्छेद 323(8) में यह प्रावधान है कि न्यायाधिकरणों की स्थापना उचित विधायिका द्वारा कानून के द्वारा ही हो सकती है।
- विदेशी एक्ट की धारा-2A के अनुसार, "विदेशी" का अर्थ है कि वह भारत का नागरिक नहीं है।
- ऐसे में यह एक्ट सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है, जिसके खिलाफ विदेशी होने के पुख्ता सबूत है, जैसे वे भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए पकडे गए है या उनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट था।
- FT के आदेश के पैराग्राफ 36(1) में वर्णित है कि विदेशी होने के लिये भेजे गये नोटिस में "मुख्य आधार" का अनिवार्यतः उल्लेख होना चाहिये, लेकिन FT द्वारा जारी किये गये नोटिसों में किसी भी अधिकार का उल्लेख नहीं किया जाता है।

आंकडे :-

- 1997 एवं उसके बाद से असम में 3 लाख लोगों को बिना ऐसी जांच या नोटिस के अधिकारियों द्वारा संदिग्ध मतदाता सूची में डाला जा चुका है।
- इन्हें NRC से बाहर रखा गया है, एवं वर्तमान में वे FT का सामना कर रहे है।
- मार्च 2019 तक 1.17 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया जा चुका है, जिसमें 63.959 एकपक्षीय घोषणाएं थी।

NRC :-

- यह वह रजिस्टर है, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण दर्ज है।
- इसे वर्ष 1951 में हुए जनगणना के बाद तैयार किया गया था।
- भारत में वर्तमान में NRC केवल असम में भी लागू है, जिसमें केवल उन लोगों के नाम दर्ज है। जो 25 मार्च 1971 से पहले देश में रह रहे है।
- नोट :- NRC उन्हीं राज्यों में लागू की जाती है, जहाँ से अन्य देश के नागरिकों के भारत में प्रवेश की संभावना रहती है।

NRC
NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA)

- नागरिकता एक्ट, 1955 में संशोधन द्वारा CAA, 2019 अधिनियमित,

- CAA द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम यानि हिन्दू, पारसी, जैन, बौद्ध, सिक्ख एवं ईसाई को नागरिकता देने का प्रावधान,
- शर्त यह है कि ये 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व से भारत में रह रहे हों।
- CAA उपरोक्त 6 समुदायों को विदेशी एक्ट, 1946 एवं पासपोर्ट एक्ट, 1920 के तहत आपराधिक मामलों से छूट प्रदान करता है।
- नए विषयों के अनुसार उपरोक्त देशों से आए व्यक्ति अब बिना वैध पासपोर्ट एवं वीजा के भी भारत की नागरिकता पा सकता है।
- नया नियम कहता है कि आवेदक अगर कोई भी ऐसा दस्तावेज दिखाता है, जिससे उसके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी की राष्ट्रीयता भी प्रमाणित होती है तो वह संबंधित राष्ट्र का माना जाएगा एवं भारत की नागरिकता पाने का हकदार होगा।
- यह साबित करने के लिये कि वह 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व में भारत में रह रहा है, 20 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त होगा।

ये दस्तावेज है :

Result Mitra

- वैज वीजा
- आवासीय परमिट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- भारत में जनगणना प्रगणकों द्वारा दी गई पर्ची
- नगरपालिका व्यापार लाइसेंस
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- केन्द्र-राज्य या बैंक द्वारा जारी दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- किरायेदारी या भूमि रिकॉर्ड
- पैन कार्ड जारी होने का दस्तावेज
- सरकार या न्यायालय द्वारा दिया गया कोई पत्र
- पंजीकृत किराया समझौता
- विवाह प्रमाण पत्र
- नोटः- पूर्व में कुछ दस्तावेजों के साथ वीजा अनिवार्य था।